

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला-जोधपुर

व इजलास-मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

उगमा पतिन जोगाराम vs सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल.आर. एक्ट

प्रकरण संख्या :- 193 / 2024

-:आदेश :-

दिनांक :- 8/10/2024

प्रार्थी उगमा पतिन श्री जोगाराम

जाति कांकी निवासी शेखरुला तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकॉर्ड में नाम दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जाँच हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाड़ा से जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार बिलाड़ा ने अवगत करवाया है कि ग्राम शेखरुला की जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 के खाता सं. 487 में दर्ज अशुद्ध नाम उगमा पतिन जोगाराम जाति कांकी निवासी शेखरुला का शुद्ध नाम उगमा पतिन जोगाराम जाति शेखरुला निवासी शेखरुला की राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध किये जाने हेतु सहमत है। अतः जाँच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट का

स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

अज अदालत
बिलाड़ा